इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29] भोपाल, बुधवार, दिनांक 20 जनवरी 2021—पौष 30, शक 1942

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2021

क्र. एफ—2—4—2021—लोसेप्र—इकसठ—1—पी.एस.जी.—45.— राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ—2—13—2012—लोसेप्र—इकसठ—1—पी.एस.जी. दिनांक 22 मई, 2020 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सेवा "मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा/इंटरनेट सेवा/अवसंरचना प्रदाताओं द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधारित वाईस या डाटा पहुँच सेवायें उपलब्ध कराने के लिए अधोसंरचना की स्थापना हेतु अनुमति प्रदान करना" को मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010), की धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है.

2. राज्य सरकार एतद्द्वारा सेवा "मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा/इंटरनेट सेवा/अवसंरचना प्रदाताओं द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधारित वाईस या डाटा पहुँच सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए अधोसंरचना की स्थापना हेतु अनुमति प्रदान करना" को मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010(क्रमांक 24 सन् 2010), की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत मान्य अनुमोदन हेतु अधिसूचित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रिपुदमन सिंह भदौरिया, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.